

सिविल अपील सं0 67/2016

मनोज कुमार बनाम रामकिशोर आदि

दि0 02.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उत्तरदातागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र 36 ग के निस्तारण पर बल दिया गया।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 36 क पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र 36 क का निस्तारण

अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थनापत्र 36 क अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व सपठित आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दौरान अपील रेस्पोंडेंट संख्या 5 / प्रतिवादी सं0 5 रामकुमार का दिनांक 22.01.2024 को स्वर्गवास हो गया है। मृतक ने अपने पीछे अपनी पत्नी निर्मला आयु लगभग 75 वर्ष, नीरज आयु 58 वर्ष, अमित आयु लगभग 43 वर्ष, श्रीमती रेनु आयु लगभग 54 वर्ष, श्रीमती नीलम पुत्र व पुत्री को छोड़ा है। इनके अलावा मृतक के कोई अन्य जायज कानूनी वारिस नहीं है। मृतक के वारिसान कायम होना अति आवश्यक है। जरिये प्रस्तावित संशोधन अपील मीमो में रेस्पोंडेंट संख्या 5 के नाम के आगे "मृतक" लिखे जाने तथा उसके वारिसान के रूप में निर्मला, नीरज, अमित, श्रीमती रेनु एवं श्रीमती नीलम प्रतिस्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर रेस्पोंडेंट्स की ओर से आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 36 ग में दौरान अपील रेस्पोंडेंट संख्या 5/प्रतिवादी सं0 5 रामकुमार का दिनांक 22.01.2024 को स्वर्गवास होने के कारण मृतक के वारिसान के रूप में उसकी पत्नी निर्मला, पुत्रगण नीरज व अमित, पुत्रियों श्रीमती रेनु एवं श्रीमती नीलम प्रतिस्थापित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। रेस्पोंडेंट्स द्वारा आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

अतः मामले के तथ्यों को देखते हुए वारिस कायमी प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार वारिस कायमी प्रार्थनापत्र 36 क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वारिस कायमी प्रार्थनापत्र 36 क स्वीकार किया जाता है। प्रार्थनापत्र 36 क के आलोक में अपील के मेमो में वांछित संशोधन अन्दर 3 दिन किया जाये।

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दि0 05-09-2024 को पेश हो।

(आनन्द प्रकाश सिंह)

अपर जिला जज,
कोर्ट सं0 10, गाजियाबाद।